न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 7/2018 (उदयपुर आर्डर)

ऊंकारलाल पिता पृथ्वीराज जी ब्राहमण गोपावत, निवासी खरसाण जरिये पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्रीमती प्यारी बाई पत्नी ऊंकारलाल जी गोपावत, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

हीरालाल पिता पृथ्वीराज जी ब्राहमण, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 18.12.2017 प्र॰सं॰ 153/11

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अभिमन्यू जाट अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक

30–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरसाण में आराजी नंबर 2085 व 2086 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा प्रार्थी एवं विपक्षी व मोहनलाल,

भगवानलाल, प्यारीबाई के नाम तथा 1/2 हिस्सा अम्बालाल के नाम दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षी दोनों सगे भाई हैं तथा उनके पिता पृथ्वीराज व अम्बालाल के मध्य 40 वर्श पूर्व आपसी बंटवाड़ा किया जाकर विवादित भूमि पृथ्वीराज के हिस्से में रखी गयी। इसके बाद पृथ्वीराज ने अपने चारों पुत्रों को जमीन बांट दी एवं उसी अनुसार काबिज हैं। विपक्षी ने उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि प्रार्थी को दिनांक 15–05–1987 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षी का नाम अंकित रह जाने से वह प्रार्थी के कब्जे का''त में दखलन्दाजी करता है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का कभी बंटवाड़ा नहीं हुआ है, जब बंटवाड़ा ही नहीं हुआ तो विवादित भूमि पृथ्वीराज के हिस्से में रखने का प्र''न ही पैदा नहीं होता है। विपक्षी ने कभी कोई विक्रय प्रार्थी के पक्ष में नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 18–12–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब को जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट ने जवाब में विक्रय की लिखापढ़ी होना बताया है, जिसकी फोटो प्रति पे''ा है। उक्त लिखापढ़ी को साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर 30 वर्शो से अधिक समय से कब्जा होने से प्रथम दृश्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में

है। यदि अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विपक्षी भूमि का विक्रय हस्तान्तरण कर सकता है, जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद बढ़ेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विस्तृत विवेचन करते हुए उक्त लिखापढ़ी अनस्टाम्पड एवं अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर प्रार्थी का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होना माना है, जो विधि सम्मत है। क्योंकि अनस्टाम्पड एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–12–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर